

29/3/23 फत्रावली पेश हुई। वाकीब्वं
 वाकीबकील अनुपस्थित। फत्रावली का अवलोकन
 किया गया। कमी द्वारा तामील नहीं करीफ जाने पर
 मूल वाद खारीज किया गया। अतः प्राथीता-पर
 212 का कोई औचित्य नहीं है। प्राथीता-पर
 212 भी इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।
 फत्रावली नम्बर से कम है। बाद
 प्रति वाकिल दफ्तर है। सुनाया गया।


 सहायक कलेक्टर
 लहरोड़ (अलवर) राज.